न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R 485-III/08

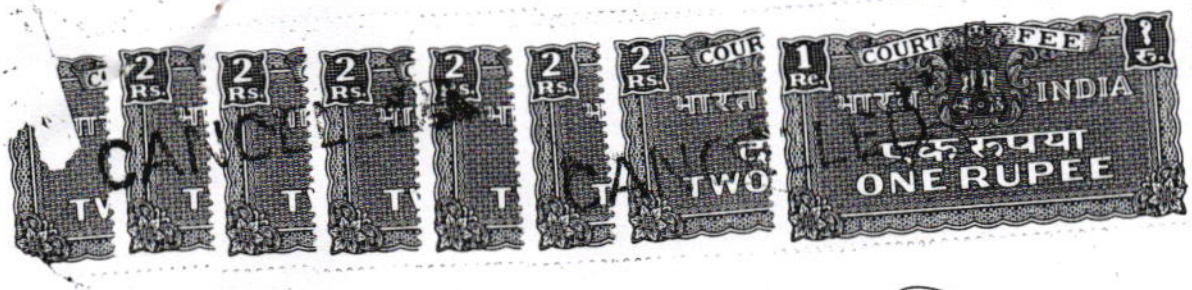

1. राम किशोर तनय भूरा काछी
2. राजभान तनय भूरा काछी
3. राजेश कुमार तनय भूरा काछी
4. सुरेश कुमार तनय भूरा काछी
5. श्री राम तनय रामनिवास काछी नाबालिक जरिये बली माँ मानवती पत्नी राम निवास काछी
6. कमलेश तनय रामनिवास
7. मानवती पत्नी रामनिवास कांछी
8. श्रीमती रामकली पत्नी भूरा काछी

सभी नि0ग्रा0 हर्दी तह0 गुढ जिला रीवा म0प्र0

...........आवे0गण

विरूद्ध

1. समल काछी तनय बुद्धी काछी नि0ग्रा0 हर्दी , तह0 गुढ जिला रीवा (म0प्र0)
2. शासन (म0प्र0)

............अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 विरूद्ध आदेश श्री बी0के0 सिंह अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म0प्र0 दि0 11.03.08 प्र0क्र0 586/अपील/06–07

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.03.08 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया तथा सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 485–तीन/2008 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
19–8–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में अनावेदक का आराजी कं 546 रकवा 0.47 डि0 खसरावर्ष 79–80, 94–95, 98–99 एवं 99–2000 में भूमिस्वामी के रूप में जरिये व्यवस्थापन नाम दर्ज था जिसे विलोपित किये जाने बावत आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने अनावेदक का नाम विलोपित करने के आदेश दिये। चूंकि खसरों में पूर्व से अनावेदक के नाम से भूमि दर्ज चली आ रही है जिसे तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन शब्द को विलोपित किया है। किसी के हक या स्वत्व के बारे में निर्णय नहीं दिया है इसके बाद भी आवेदकगण किस प्रकार तहसीलदार के आदेश से परिवेदित है यह स्पष्ट नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा इन्हीं आधार पर आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील को स्वीकार किया है और तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अभिलेख वापस भेजें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0सी0 जैन) सदस्य	